G20

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 1657 /12-1 ,दिनांक, पौड़ी, फरवरी, 17/02/ 2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड नारायणबगड में फारकोट से डडुवागाड तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.610 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **आपकी पत्र सं0 3902/12–1 दिनांक 07.02.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है का अवलोकन करने पर निम्न कमियां है–

1. प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने पर पाया कि जिन गांवो के लिए मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुडे हुए प्रतीत होते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी प्रस्तावक विभाग के साथ स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित मोटर मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रस्ताव में 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों के वृक्षों की संख्या शून्य अंकित की गई है। 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या अंकित की जाए।
3. प्रभागीय वनाधिकारी स्थलीय निरीक्षण करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र देगे कि उक्त मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू–चिन्हांकन व 25 मी0 की दूरी पर पिलरबन्दी की गई है।
4. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है–

a- In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charge from the user agency.

b- The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by th e competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

उक्तानुसार Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

//Jaideep//